



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2008/आश्विन 3, 1930

No. 156]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2008/ASVINA 3, 1930

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2008

सं. 1-सीए(7)/116/2008 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप संशोधनों को, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 5 मई, 2008 में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की अधिसूचना सं.1-सीए(7)/116/2008 तारीख 5 मई, 2008 के अधीन पृष्ठ 1 से 18 तक में प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 8 मई, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव या टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी और इस विषय पर भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया था और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था ;

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विनियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में, —

(क) विनियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3क. सदस्यों की सूची — धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित, प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को यथा विद्यमान संस्थान के सदस्यों की सूची, किसी सदस्य को, उसके अनुरोध पर और उसके द्वारा निम्नलिखित दरों पर संदाय किए जाने पर भेजी जा सकेगी, —

(i)	पश्चिमी क्षेत्र	- 500/- रु. प्रति कापी
(ii)	दक्षिणी क्षेत्र	- 500/- रु. प्रति कापी
(iii)	पूर्वी क्षेत्र	- 300/- रु. प्रति कापी
(iv)	मध्य क्षेत्र	- 400/- रु. प्रति कापी
(v)	उत्तरी क्षेत्र	- 500/- रु. प्रति कापी
(vi)	पूर्ण भारत	- 750/- रु. प्रति कापी”

(ख) विनियम 5 के उपविनियम (1) के,

- (i) खंड (क) में, “इन विनियमों में विहित फीस” शब्दों के स्थान पर “ऐसी फीस, जिसे परिषद् द्वारा धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किया जाए,” शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) खंड (ख) में, “विहित प्रवेश फीस” शब्दों के स्थान पर “ऐसी फीस, जिसे परिषद् द्वारा धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किया जाए,” शब्द रखे जाएंगे।

परंतु यह कि कोई एसोशिएट, अध्येता के रूप में प्रवेश दिए जाने पर, वर्ष के अनुक्रम में, उस वर्ष के लिए केवल अंतर की राशि का संदाय करेगा।”;

(ग) विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6. फीस

- (1) (क) वार्षिक सदस्यता फीस प्रत्येक वर्ष के अप्रैल की प्रथम तारीख को शोध्य हो जाएगी।
(ख) प्रत्येक सदस्य ऐसी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय करेगा, जिसे परिषद् द्वारा धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अवधारित किया जाए ;
- (2) (क) वृत्ति के प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक फीस प्रत्येक वर्ष के अप्रैल की प्रथम तारीख को शोध्य हो जाएगी।
(ख) वृत्ति करने वाला प्रत्येक सदस्य ऐसी वार्षिक वृत्ति प्रमाणपत्र फीस का संदाय करेगा, जिसे परिषद् द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अवधारित किया जाए ;
- (3) अपनी सदस्यता को पुनः प्राप्त करने का इच्छुक कोई सदस्य ऐसी अतिरिक्त फीस का संदाय करेगा, जिसे परिषद् द्वारा धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किया जाए।”

(घ) विनियम 10 के उपविनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी वृत्ति प्रमाणपत्र रद्द किए जाने का दायी होगा, यदि —

- (i) प्रमाणपत्र के धारक के नाम को धारा 20 की उपधारा (1) और (2) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया जाता है ; या

- (ii) संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र गलत, भ्रामक या मिथ्या सूचना के आधार पर या गलती अथवा असावधानी से जारी किया गया था ; या
- (iii) किसी सदस्य ने वृत्ति करना बंद कर दिया है ; या
- (iv) किसी सदस्य ने सुसंगत वर्ष के 30 सितंबर तक वृत्ति के प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक फीस का संदाय नहीं किया है ।

(2) प्रमाणपत्र का रद्दकरण :-

- (क) उपविनियम (1) के खंड (i) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, उस तारीख से, जिसको प्रमाणपत्र के धारक का नाम रजिस्टर से हटाया गया था और ऐसी अवधि के दौरान प्रभावी होगा, जिसमें उसका नाम रजिस्टर से हटा रहा था ;
- (ख) उपविनियम (1) के खंड (iv) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में सचिव द्वारा 1 अक्टूबर को या उसके पश्चात् सूचना जारी करने की तारीख से 15वें दिन प्रभावी होगा ; और
- (ग) किसी अन्य मामले में ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए ।” ;

(ड) नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“11. वृत्ति के प्रमाणपत्र को पुनः प्रदान करना - परिषद्, अनुमोदित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर और परिषद् द्वारा धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन अवधारित की जाने वाली फीस का संदाय किए जाने पर, किसी ऐसे सदस्य को, जिसका प्रमाणपत्र वृत्ति प्रमाणपत्र की वार्षिक फीस का संदाय न करने पर रद्द कर दिया गया है और जिसका ऐसा आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, फीस के साथ सचिव को सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो गया है, उस तारीख से, जिसको प्रमाणपत्र रद्द किया गया था, पुनः प्रदान कर सकेगी ।” ;

(च) विनियम 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में, शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द कोष्ठकों में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“[परिषद् के समक्ष लंबित 17.11.2006 से पूर्व की गई किसी शिकायत या सूचना अथवा अनुशासन समिति द्वारा प्रारंभ की गई किसी जांच या उच्च न्यायालय को किए गए किसी निर्देश या अपील को लागू]” ;

(छ) विनियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“17क. निदेशक (अनुशासन), अनुशासन समिति द्वारा किसी शिकायत या सूचना के अन्वेषण के लिए फीस और प्रक्रिया तथा अनुशासन समिति द्वारा जांच के लिए प्रक्रिया ।

[17.11.2006 को या उसके पश्चात् प्राप्त शिकायत या सूचना को लागू]

(1) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से फाइल की गई किसी शिकायत से भिन्न प्रत्येक शिकायत के साथ 2500 रुपए की फीस लगी होगी ;

(2) ऐसी प्रत्येक शिकायत या सूचना पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।” ;

(ज) विनियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“19. सदस्यता पुनः प्रदान करना - (1) परिषद्, किसी ऐसे सदस्य से, जिसके नाम को धारा 20 की उपधारा (1) खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है, इस निमित्त उचित प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने पर तथा उसके द्वारा वार्षिक सदस्यता फीस का बकाया, प्रवेश फीस और परिषद् द्वारा अधिनियम के अधीन अवधारित अतिरिक्त फीस

का संदाय किए जाने पर, उसके नाम को रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर सकेगी, यदि वह सदस्य अन्यथा ऐसी सदस्यता के लिए पात्र है।

(2) उपविनियम (1) के अधीन सदस्यता का पुनः प्रदान किया जाना, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको आवेदन और फीस प्राप्त किए जाते हैं :

परंतु यह कि जहां सदस्यता पुनः प्रदान करने के लिए ऐसा आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, उस वर्ष के, जिसमें नाम हटाया गया था, भीतर प्राप्त होता है तो परिषद् उसके द्वारा उस वर्ष के लिए शोध वार्षिक सदस्यता फीस, प्रवेश फीस और सदस्यता पुनः प्रदान करने के लिए अतिरिक्त फीस का संदाय किए जाने पर, उस तारीख से, जिसको उसका नाम रजिस्टर से हटाया गया था, पुनः सदस्यता प्रदान कर सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसे सदस्य का नाम, जिसे अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति या अपील प्राधिकरण या उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाया गया था, केवल ऐसे आदेशों के अनुसार ही पुनः प्रविष्ट किया जाएगा।

(झ) विनियम 53 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“53क. अन्य वृत्तिक निकाय - (1) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I की मद (2), (3) और (5) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित वृत्तिक निकायों में से किसी का सदस्य होना होगा, अर्थात् :-

- (क) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन स्थापित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ;
- (ख) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान ;
- (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन स्थापित भारतीय विधिज्ञ परिषद् ;
- (घ) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के अधीन स्थापित भारतीय वास्तुविद् संस्थान ;
- (ङ) बीमांकिक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) के अधीन स्थापित भारतीय बीमांकिक संस्थान ;

(2) भारत से बाहर स्थित ऐसे वृत्तिक निकायों या संस्थानों की सदस्यता, जिनकी लेखाकरण से संबंधित अर्हताओं को परिषद् धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता देती है, को भी अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I की मद (2), (3) और (5) के प्रयोजनों के लिए विचार में लिया जाएगा।

(3) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I की मद (2), (3), (4) और (5) के प्रयोजनों के लिए, भारत में अर्हित व्यक्ति निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (i) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अर्थान्तर्गत कोई कंपनी सचिव ;
- (ii) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थान्तर्गत कोई लागत लेखापाल ;
- (iii) बीमांकिक अधिनियम, 2006 के अर्थान्तर्गत कोई बीमांकिक ;
- (iv) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बैचलर इन इंजीनियरिंग ;
- (v) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बैचलर इन टेक्नालॉजी ;
- (vi) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बैचलर इन आर्चीटेक्चर ;
- (vii) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से बैचलर इन लॉ ;

(viii) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थाओं से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ।

53ख. भागीदारी के लिए वृत्तिक निकायों की सदस्यता - (1) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I की मद (4) के अधीन भागीदारी में प्रवेश करने के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति निम्नलिखित वृत्तिक निकायों में से किसी का सदस्य होगा, अर्थात् :-

- (क) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन स्थापित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ;
 - (ख) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अधीन स्थापित भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का सदस्य कंपनी सचिव ;
 - (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सदस्य अधिवक्ता ;
 - (घ) इंजीनियर्स संस्था का सदस्य इंजीनियर या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विधि द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से इंजीनियरी ;
 - (ङ) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित भारतीय वास्तुविद् संस्थान का सदस्य वास्तुविद् ;
 - (च) बीमांकिक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित भारतीय बीमांकिक संस्थान का सदस्य बीमांकिक ;
- (2) भारत से बाहर स्थित ऐसे वृत्तिक निकाय या संस्थाएं, जिनकी लेखाकरण से संबंधित अर्हताएं परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन मान्यताप्राप्त हैं ।”

(ज) विनियम 82 से 126 का लोप किया जाएगा ;

(ट) विनियम 137 के उपविनियम (9) में “क्षेत्र से संबंधित ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें क्षेत्रीय परिषद् द्वारा सहयोजित किया जाए, जो समिति के सदस्यों के दो तिहाई से अधिक न हों, इस प्रकार ऐसे सहयोजित व्यक्तियों के कम से कम आधे संस्थान के सदस्य होंगे” के स्थान पर, “क्षेत्र के ऐसे अन्य सदस्य, जिन्हें क्षेत्रीय परिषद् द्वारा सहयोजित किया जाए, जो उपरोक्तानुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई से अधिक न हों” शब्द रखे जाएंगे ।

(ठ) विनियम 174 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“174क. परिषद् की समितियां - परिषद् द्वारा धारा 17 के अधीन गठित स्थायी समितियां सभी समयों पर परिषद् के नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेंगी ।”

(ड) विनियम 175 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“175. कार्यपालक समिति - (1) कार्यपालक समिति निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात् :-

- (क) वृत्ति के प्रमाणपत्र सहित या रहित सदस्यों का नामांकन, अध्येताओं का प्रवेश, सदस्यों के नामों का हटाया जाना और उन्हें पुनः प्रविष्ट करना, वृत्ति के प्रमाणपत्र को रद्द करना, परिषद् के निष्कर्षों पर सदस्यों का अभियोजन, वृत्ति कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स या ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फर्मों को धारा 27 की उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान करना और सदस्यों की सूची का प्रकाशन करना ;
- (ख) वृत्ति कर रहे किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को, इस निमित्त परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए लेखाकरण की वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने की अनुमति प्रदान करना ;
- (ग) विनियम 190 के अधीन अपेक्षित सूचना प्रदान करने में हुई देरी को क्षमा करना ;
- (घ) आर्टीकल सहायकों के रजिस्टर और लेखा परीक्षा सहायकों के रजिस्टर और अधिनियम अथवा इन विनियमों द्वारा विहित अन्य सभी कानूनी रजिस्ट्रों को बनाए रखना ;

3745 GF/08-2

- (ड) संस्थान की संपत्ति, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षा ;
- (च) परिषद् के कार्यालय का अनुरक्षण और उस प्रयोजन के लिए कार्यपालक समिति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, आवश्यक कर्मचारिवृंद को नियोजित, निलंबित, कर्तव्य मुक्त या पुनः नियोजित कर सकेगी ;
- (छ) वित्त समिति की सिफारिश पर, परिषद् द्वारा वार्षिक बजट के संबंधित शीर्षों में पूर्व में मंजूर प्राक्कलनों से 20% अधिक तक संभावित व्यय को अनुमोदन प्रदान करना :

परंतु यह कि जहां कार्यपालक समिति वित्त समिति की सिफारिश से सहमत नहीं है, वहां इस विषय का विनिश्चय परिषद् द्वारा किया जाएगा ।

(2) इन विनियमों द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यपालक समिति विनियम 44, 67 और 80 में अंतर्विष्ट कृत्यों और शक्तियों को छोड़कर आर्टिकल सहायकों और लेखा परीक्षा सहायकों के संबंध में परिषद् के सभी कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

(3) परिषद् के पास, कार्यपालक समिति द्वारा उसे समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन में किए गए किसी भी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।”

(ढ) विनियम 176 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“176क. वित्त समिति - (1) वित्त समिति निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित और आनुषंगिक कार्यकलापों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करेगी, अर्थात् :-

- (क) परिषद् की ओर से सभी प्राप्तियों और संदायों के सत्य और सही लेखाओं और ऐसे विषय, जिनके संबंध में ऐसी प्राप्तियां और संदाय किए जाते हैं तथा संस्थान की सभी संपत्तियों, प्रतिभूतियों, ऋणों, निधियों और दायित्वों का अनुरक्षण ;
- (ख) संस्थान का वार्षिक बजट तैयार करना और उसे कार्यपालक समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् अनुमोदन हेतु परिषद् को प्रस्तुत करना ;
- (ग) संस्थान की निधियों का नियंत्रण करना ;
- (घ) संस्थान की निधियों का प्रतिभूतियों में निवेश करना और परिषद् द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करना ;
- (ड) परिषद् द्वारा पूर्व में मंजूर किए गए प्राक्कलनों के आधार पर राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्यय हेतु संस्थान की निधियों से आहरण करना ;

परंतु यह कि परिषद् द्वारा पूर्व में मंजूर किए गए प्राक्कलनों से अधिक व्यय को, जहां कहीं समीचीन समझा जाता है, कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर उपगत किया जा सकता है, किंतु ऐसे अधिक व्यय को, परिषद् की अगली बैठक में उसकी सूचना में लाया जाएगा ;

(च) परिषद् द्वारा वार्षिक बजट के संबंधित शीर्षों में पूर्व में परिषद् द्वारा मंजूर प्राक्कलनों से 20% अधिक तक संभावित व्यय को मंजूर करने के लिए कार्यपालक समिति को सिफारिश करना ।

(2) परिषद् के पास, वित्त समिति द्वारा उसे समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन में लिए गए किसी भी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।”

(ण) विनियम 194 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“194. लेखाओं का रखा जाना - (1) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित के संबंध में उचित लेखा बहियों को बनवाए रखेगा -

(क) संस्थान द्वारा प्राप्त और व्यय की गई सभी धनराशियां और ऐसे विषय जिनके संबंध में प्राप्ति और व्यय किए जाते हैं ;

(ख) मालों के सभी विक्रय और क्रय ;

(ग) संस्थान की सभी आस्तियां और दायित्व ;

(2) परिषद् के वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाएगा । ऐसे वार्षिक लेखाओं में संस्थान का तुलन पत्र, उस वर्ष के लिए आधिक्य या कमी को सम्मिलित करने वाला आय और व्यय लेखा और उस वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण सम्मिलित होगा ।” ;

(त) विनियम 197 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“197. वास्तविक आय और व्यय की बजट प्राक्कलनों के साथ तुलना -(1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व बजट का अनुमोदन करेगी, जिसमें आगामी वर्ष में उपगत किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यय और आनुमानित राजस्व उपदर्शित होंगे । अन्य चीजों के अलावा ऐसे बजट में पूंजी मदों और राजस्व मदों को पृथक् रूप से बड़े अक्षरों में उपदर्शित किया जाएगा ।

(2) पूंजी मदों के लिए बजट में भूमि, भवन, पूंजी उपस्करों, पुस्तकों और पुस्तकालय संबंधी अन्य मदों के अलावा प्रस्तावित व्यय का प्रावधान होगा ।

(3) राजस्व मदों संबंधी बजट में आगामी वर्ष के लिए आनुमानित और अन्य मदों के अलावा, दूरस्थ शिक्षा, परीक्षा, सदस्यों को सेवाएं और वेतन तथा स्थापन के संबंध में प्रस्तावित व्यय के लिए प्रावधान होना चाहिए ।

(4) इस प्रकार अनुमोदित बजट को, आशयित परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए वर्ष के दौरान पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

(5) परिषद् के लेखा परीक्षक वास्तविक आय और व्यय की, परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के साथ तुलना करेंगे और सारवान् विचलनों के संबंध में परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।”

टी. कार्थिकेयन, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा/104/2008]

टिप्पण :- मूल विनियमों को तारीख 1 जून, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/134/88 तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/1/89
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/10/90
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/11/90
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/12/91
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/13/90
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/19/92
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितम्बर, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/28/95
- (viii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 मार्च, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/30/95
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/31/97

- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/44/99
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/45/99
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/51/2000
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/59/2001
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/64/2002
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/64ए/2003
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/83/2005
- (xvii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 जून, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/84/2005
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/92/2006
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/102/2007(अ)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2008

No.1-CA(7)/116/2008. - Whereas certain draft amendments further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) at pages 1 to 18 of the Gazette of India, Part III Section 4, dated the 5th May, 2008 under the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No.1-CA(7)/116/2008 dated 5th May, 2008;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 8th May, 2008;

And whereas no objection or suggestion or comment was received from any person with respect to the said draft notification and that the matter has been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India and approved by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2008.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988,-
 - (a) after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely:-

"3A. List of members. — The list of members of the Institute as on the 1st day of April each year published, under sub-section (3) of section 19, may be sent to any member, on his request and on his making payment at the following rates, -

(i)	Western Region	— Rupees 500/- per copy
(ii)	Southern Region	— Rupees 500/- per copy
(iii)	Eastern Region	— Rupees 300/- per copy
(iv)	Central Region	— Rupees 400/- per copy
(v)	Northern Region	— Rupees 500/- per copy
(vi)	All India	— Rupees 750/- per copy"

(b) in regulation 5, in sub-regulation (1),

- (i) in clause (a), for the words, "the fee prescribed in these regulations", the words, "such fee as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 4", shall be substituted.
- (ii) in clause (b), for the words, "the prescribed entrance fee", the words, "such fee as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 5" shall be substituted:

Provided that an associate on being admitted as a fellow in the course of the year shall pay, for that year, only the differential amount."

(c) for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:-

"6. Fees

- (1) (a) The annual membership fee shall become due on the first day of April in each year.
 - (b) Every member shall pay such annual membership fee as may be determined by the Council under sub-section (4) of section 19.
- (2) (a) The annual fee for certificate of practice shall become due on the first day of April in each year.
 - (b) Every member in practice shall pay such annual certificate of practice fee, as may be determined by the Council under sub-section (2) of section 6.
- (3) A member seeking restoration of his membership shall pay, such additional fee, as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 20."

(d) in regulation 10, for sub-regulations (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

- "(1) A certificate of practice issued under sub-section (1) of section 6 shall be liable for cancellation, if -

3745 92/08-3

- (i) the name of the holder of the certificate is removed from the Register under sub-sections (1) and (2) of section 20; or
 - (ii) the Council is satisfied, after giving an opportunity of being heard to the person concerned, that such certificate was issued on the basis of incorrect, misleading or false information, or by mistake or inadvertence; or
 - (iii) a member has ceased to practise; or
 - (iv) a member has not paid annual fee for certificate of practice till 30th day of September of the relevant year.
- (2) The cancellation of a certificate shall be effective:-
- (a) in a case falling under clause (i) of sub-regulation (1), on the date on which and during the period for which the name of the holder of the certificate was removed from the Register;
 - (b) in a case falling under clause (iv) of sub-regulation (1), from the 15th day following the date of issue of notice by the Secretary on or after the 1st day of October; and
 - (c) in any other case from such date and for such period, as may be decided by the Council.”;
- (e) for regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely:-
- “11. Restoration of certificate of practice. – The Council may, on an application made in the approved Form and on payment of such fee, as may be determined by the Council under sub-section (3) of section 20, restore the certificate of practice with effect from the date on which it was cancelled, to a member whose certificate has been cancelled due to non-payment of the annual fee for the certificate of practice and whose application, complete in all respects, together with the fee, is received by the Secretary before the expiry of the relevant year.”;
- (f) in regulations 12, 13, 14, 15, 16 and 17, after the headings, the following words in brackets shall be inserted, namely:--
- “[Applicable to a complaint or information pending before the Council or any inquiry initiated by the Disciplinary Committee or any reference or appeal made to a High Court prior to 17.11.2006]”;
- (g) after regulation 17, the following regulation shall be inserted, namely:-
- “17A. Fee and procedure for investigation of a complaint or information to be followed by the Director (Discipline), Disciplinary Directorate and procedure for inquiry by the Disciplinary Committee.

[Applicable to a complaint or information received on or after 17.11.2006]

(1) Every complaint, other than a complaint filed by or on behalf of the Central Government or any State Government or any statutory authority, shall be accompanied by a fee of Rs.2,500/-;

(2) Each such complaint or information shall be dealt with in accordance with the procedure specified in the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007.”;

(h) for regulation 19, the following regulation shall be substituted, namely:-

“19. Restoration to membership. – (1) The Council may, on an application in the appropriate Form, received in this behalf from a member whose name has been removed from the Register under clause (c) of sub-section (1) of section 20, restore his name, if he is otherwise eligible to such membership, on his paying the arrears of annual membership fee, entrance fee and additional fee determined by the Council under the Act.

(2) The restoration under sub-regulation (1) shall be with effect from the date on which the application and fee are received:

Provided that where such an application for restoration, complete in all respects, is received within the same year in which the name was removed, the Council may restore the name on his paying the annual membership fee due for that year, entrance fee and the additional fee for restoration, with effect from the date on which it was removed from the Register:

Provided further that the restoration of a member's name which was removed under the orders of the Board of Discipline or the Disciplinary Committee or the Appellate Authority or the High Court shall be effected only in accordance with such orders.”;

(i) after regulation 53, the following regulations shall be inserted, namely:-

“53A. Other professional bodies. – (1) For the purposes of Items (2), (3) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, a person has to be a member of any of the following professional bodies, namely:-

- (a) The Institute of Company Secretaries of India established under the Companies Act, 1980 (No.56 of 1980);
- (b) The Institute of Cost and Works Accountants of India established under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (No.23 of 1959);
- (c) Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961 (No.25 of 1961);
- (d) The Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972 (No.20 of 1972);
- (e) The Institute of Actuaries of India established under the Actuaries Act, 2006 (No.35 of 2006).

(2) The membership of the professional bodies or institutions outside India whose qualifications relating to accountancy are recognised by the Council under sub-section (2) of section 29 shall also be taken into consideration for the purposes of Items (2), (3) and (5) of the Part I of the First Schedule to the Act.

(3) For the purposes of Items (2), (3), (4) and (5) of Part I of the First Schedule to the Act, the following shall be the persons qualified in India, namely:-

- (i) Company Secretary within the meaning of the Company Secretaries Act, 1980;
- (ii) Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1959;
- (iii) Actuary within the meaning of the Actuaries Act, 2006;
- (iv) Bachelor in Engineering from a University established by law or an Institution recognised by law;
- (v) Bachelor in Technology from a University established by law or an institution recognised by law;
- (vi) Bachelor in Architecture from a University established by law or an institution recognised by law;
- (vii) Bachelor in Law from a University established by law or an institution recognised by law;
- (viii) Master in Business Administration from Universities established by law or technical institutions recognised by All India Council for Technical Education.

53B. Membership of professional bodies for partnership. – (1) For the purposes of entering into partnership under Item (4) of Part I of the First Schedule to the Act, a person shall be a member of any of the following professional bodies, namely:-

- (a) Company Secretary, member, The Institute of Company Secretaries of India, established under the Company Secretaries Act, 1980;
- (b) Cost Accountant, member, The Institute of Cost and Works Accountants of India established under the Cost and Works Accountants Act, 1959;
- (c) Advocate, member, Bar Council of India established under the Advocates Act, 1961;
- (d) Engineer, member, The Institution of Engineers, or Engineering from a University established by law or an institution recognized by law.
- (e) Architect, member, The Indian Institute of Architects established under the Architects Act, 1972;
- (f) Actuary, member, The Institute of Actuaries of India, established under the Actuaries Act, 2006.

(2) Professional bodies or institutions outside India whose qualifications relating to accountancy are recognised by the Council under sub-section (2) of section 29 of the Act.”;

- (j) Regulations 82 to 126 shall be omitted;
- (k) in regulation 137, in sub-regulation (9), for the words “such other persons belonging to the region as may be co-opted by the Regional Council, not exceeding two-thirds of the members of the committee, so however, that at least one-half of such coopted persons shall be members of the Institute” the words “such other members belonging to the region as may be co-opted by the Regional Council, not exceeding one-third of the members elected to the committee as above” shall be substituted.

- (l) After regulation 174, the following shall be inserted, namely:-

“174A. Committees of the Council. – The Standing Committees constituted by the Council under section 17 shall at all times function under the control, direction and supervision of the Council.”

- (m) for regulation 175, the following regulation shall be substituted, namely:-

“175. Executive Committee. – (1) The Executive Committee shall perform the following functions, namely:—

- (a) enrolment of members with or without certificate of practice, admission of fellows, removal and restoration of names of members, cancellation of certificate of practice, prosecution of members on the findings of the Council, granting exemption to chartered accountants in practice or firms of such chartered accountants from the operation of sub-section (1) of section 27 and publication of the list of members;
- (b) grant of permission to a chartered accountant in practice to engage in any business or occupation other than the profession of accountancy in accordance with, and subject to, the restrictions specified in this behalf by the Council;
- (c) condone the delay in supplying requisite information under regulation 190;
- (d) maintenance of the Register of articled assistants and Register of audit assistants and all other statutory registers which are prescribed by the Act or these regulations;
- (e) custody of the property, assets and funds of the Institute;
- (f) maintenance of office of the Council and for this purpose the Executive Committee may employ, suspend, discharge or re-employ the necessary staff on such terms and conditions as it may deem fit;
- (g) according approval, on recommendation of Finance Committee, to the likely expenditure upto twenty percent in excess of the estimates previously sanctioned by the Council in the respective heads of the annual budget:

Provided that where the Executive Committee does not agree with the recommendation of the Finance Committee, the matter shall be decided by the Council.

(2) Except as otherwise provided by these regulations, the Executive Committee shall exercise all the functions and powers of the Council in relation to article assistants and audit assistants, except those contained in regulations 44, 67 and 80.

(3) The Council shall have the power to review any decision taken by the Executive Committee in the performance of the functions assigned to it."

(n) after regulation 176, the following regulation shall be inserted, namely:-

"176A. Finance Committee. – (1) The Finance Committee shall control, implement and supervise the activities related with and incidental to the following areas, namely:-

- (a) maintenance of true and correct accounts of all the receipts and payments on behalf of the Council and the matters in respect of which such receipts and payments take place and of all the property, securities, debts, funds and liabilities of the Institute;
- (b) formulation of annual budget of the Institute and presenting it to the Council for approval, after obtaining the recommendation of the Executive Committee;
- (c) control of funds of the Institute;
- (d) investment of the funds of the Institute in securities and to vary such investments from time to time subject to the guidelines approved by the Council;
- (e) disbursements from the funds of the Institute for expenditure, both revenue and capital, based on the estimates previously sanctioned by the Council:

Provided that expenditure in excess of the estimates previously sanctioned by the Council may be incurred with the recommendation of the Executive Committee, wherever considered expedient, but such excess expenditure shall be brought to the notice of the Council at its next meeting;

- (f) making recommendation to the Executive Committee for sanction of likely expenditure upto twenty percent in excess of the estimates previously sanctioned by the Council for the respective heads of the annual budget.

(2) The Council shall have the power to review any decision taken by the Finance Committee in the performance of the functions assigned to it."

(o) for regulation 194, the following regulation shall be substituted, namely:-

"194. Maintenance of accounts. – (1) It shall be the duty of the Secretary to cause to maintain proper books of accounts with respect to—

- (a) all sums of money received and expended by the Institute and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
- (b) all sales and purchases of goods;
- (c) all the assets and liabilities of the Institute.

(2) The annual accounts of the Council shall be prepared for every year. Such annual accounts shall comprise of the Balance Sheet of the Institute, Income and Expenditure Account of the Institute comprising the surplus or deficit of the Institute for that year, and Cash Flow Statement for that year.";

(p) for regulation 197, the following regulation shall be substituted, namely:-

"197. Comparison of actual income and expenditure with budget estimates. –

(1) The Council shall approve the budget prior to the commencement of each financial year indicating expenditure proposed to be incurred and anticipated revenues for the forthcoming year. Such a budget apart from the other things shall separately distinguish capital items and the revenue items.

(2) The budget for the capital items shall provide proposed expenditure apart from the other items on land, building, capital equipments, books and library.

(3) The budget for revenue items should provide anticipated income and proposed expenditure for the forthcoming year in relation to, apart from the other items, in respect of distance education, examination, services to members and salary and establishment.

(4) The budget so approved may be revised during the year to incorporate the expected changes.

(5) The auditors of the Council shall also compare the actual income and expenditure with the budget estimates approved by the Council and submit a report to the Council on the material departures."

T. KARTHIKEYAN, Acting Secy.

[ADVT III/4/Exty./104/2008]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India dated 19th January, 1991

- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
- (ix) Notification No.1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997
- (x) Notification No.1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, weekly dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No.1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No.1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, Extraordinary dated 17th August, 2007